

सं० सं० 14 / एम 11-4 / 15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.9.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	उषा देवी पति-सुजीत कुमार ग्राम-पो०-मटिया थाना-लक्ष्मीपुर जिला-जमुई	हृदय रोग	₹ 1,60,000 /-(एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,60,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000 /-(एक लाख साठ हजार) का क्रास चेक सं०...
.....508961..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा०. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 13-10-15

ज्ञापांक - 1194 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.9.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	तरेगना देवी पति-यमुना/जमुना साह ग्राम-बड़का गांव पो0-मोहन दढवा थाना-बेलाव जिला-भभुआ, कैमुर ओ.पी.डीनं0-595/15	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
2	सुनील राम पिता-गुलजार राम ग्राम-पाण्डेयपुर पो0-चंचौरा थाना-दरौंदा जिला-सीवान ओ.पी.डी-5821/14	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	विश्वनाथ प्रसाद पिता-स्व0 सरयुग प्रसाद ग्राम-नकछेद टोला पो0-मोतिहारी थाना-मोतिहारी टाउन जिला-पूर्वी चम्पारण ओ0पी.डीनं0-1542/15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

9/10/15

4	फुलझरीया देवी पति-विश्वनाथ सिंह ग्राम-चंदा पो0-पुराना भोजपुर थाना-डुमरौव जिला-बक्सर ओ0पी0डीनं0-30808 / 15	गंभीर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
5	अमेरिका प्रसाद पिता-रामदेव प्रसाद ग्राम-बसवड़ीया टोला पो0+थाना-तुरकौलीया जिला-पूर्वी चम्पारण ओ0पी0डीनं0-3319 / 15	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
6	चन्द्रभुषण मिश्रा पिता-राजेन्द्र मिश्रा ग्राम-पो0-सिंघाड़ी थाना-बगहा जिला-प0 चम्पारण हौस्पिटल नं0-25416	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,70,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,70,000/- (चार लाख सतर हजार) रुपये का क्रास चेक सं0.....

SD8937.....मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

पटना, दिनांक- 13-10-15

ज्ञापांक - 1169 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

